



## शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

## **Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar**

**Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001**

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website : [www.bvvjdp.ac.in](http://www.bvvjdp.ac.in)

क्रमांक /३८०/A-९ /अका. /प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत /2024 जगदलपुर, दिनांक १२/०६/२०२४  
प्रति,

- प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,  
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)
  - समस्त विभाग प्रमुख / विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,  
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

**विषय :-** शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक/427/101/आउशि/सम/2024 नवा रायपुर, दिनांक 12.06.2024

\* \* \* \* \*

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07.06.2024 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 का संलग्न प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया है।

अतः उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

**संलग्न :- उपरोक्तानुसार।**

प्रभास

## कुलसचिव

 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
जगदलपुर ज़िला—बस्तर (झ.ग.)

पृ.क्रमांक 1381/A-9 / अका. / प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत / 2024 जगदलपुर, दिनांक 12/06/2024

### **प्रतिलिपि :-**

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर।
  02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक—सी 30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर।
  03. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर।
  04. अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
  05. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।  
— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Alex

## सहायक कूलसचिव (अकादमिक)

**शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर**  
**जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)**

कार्यालय, सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

आवक / जावक नस्ती क्रमांक १८५

दिनांक १३/०६/२४

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक ५२७/१०१/आउशि/सम./२०२४

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक १२/०६/२४

प्रति,

१. कुलसचिव

समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)

२. प्राचार्य

समस्त महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :-

छ.ग. राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने बाबत।

संदर्भ :-

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/ ३८-२ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०७.०६.२०२४।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छ.ग.राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया गया है जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2024-25 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक १२/०६/२४

पृ.क्रमांक ५२८/१०१/आउशि/सम./२०२४

प्रतिलिपि :-

- अवर राचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Academic  
Form  
13/6/24

Shri Nag १३/०६/२४

छत्तीरागढ़ शारान  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालयः  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर  
Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक / एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 07/06/2024  
प्रति.

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका रिद्धांत जारी करने वाले।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव / 357/101/आउशि/सम./2024, दिनांक 02.05.2024.

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में कृपया उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

महानदी  
(ए.आर.खान)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग

0/6

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए<sup>१</sup>  
सत्र 2024–25  
हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

## छत्तीरागढ़ शासन

## उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीरागढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2024-25

### प्रयुक्ति :-

1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीरागढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय गहाविद्यालयों में छत्तीरागढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ राहपटित करते हुए लागू होंगे तथा सभरत प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

### प्रवेश की तिथि :-

#### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय रत्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका रिधात के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा, गहाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकरूची प्रदान न विन्यो जाने की स्थिति में पूर्व संरक्षा के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर यिन अंकरूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) सच्चीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्तन के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

पाणि हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :—

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य समय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सहाय होंगे। (स्थानांतरण के प्रथम चार में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शारन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कठिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सब के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :—

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :—

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संवंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं यों भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

## प्रवेश संख्या का निर्धारण :—

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की गतिशीलता, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य रामग्री एवं रटाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्थीकृत हो। संख्या (सीट) अन्तर्गत ही चिभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र रांख्या में रीट की वृद्धि बाहर है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्ररताय उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेपित करें तथा “उच्च शिक्षा रांचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यपाही करें।”

3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचार्थीय पाठ्यक्रम वी.ए.एल.एल.वी. की कक्षाओं में यार कौरिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति रोक्षन (चूनतम 2 रोक्षन एवं अधिकतम 5 रोक्षन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने गहाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

## 4. प्रवेश सूची :—

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सलग्न प्रगाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रगाण पत्रों से गिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद रथानांतरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की गोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 विधिपूर्वक प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर रामी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु यिलाव शुल्क रूपये 100/- अशारकीय रूप में अतिरिक्त रूप से बरूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

*[Signature]*

स्थानांतरण प्रगाण-पत्र की द्वितीय प्रति (लुप्टीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाए। स्थानांतरण प्रगाण-पत्र खीं जाने की रिथति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संखा रो अधिकृत रिपोर्ट जिसमें भूल स्थानांतरण प्रगाण पत्र का अनुकरण एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने वाली रिथति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रगाण-पत्र जारी करने के राथ-राथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि रांभंधित छात्र रैगिंग/अनुसासनहीनता/तोडफोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् रनातक/रनातकोल्टर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

### 5. प्रवेश की पात्रता :-

#### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) उत्तीरणगढ के मूल/स्थायी, उत्तीरणगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदाकर्ण उत्तीरणगढ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश करने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार मुणानुकर्म के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) राम्यद्व विश्वविद्यालय से या राम्यद्व विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रगाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

### स्नातक स्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। पिछले वाणिज्य और कला राकाय के आयोदकों को विज्ञान राकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी राकाय से उत्तीर्ण छात्रा ने प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला राकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य राकाय के विषय से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य राकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रवाहर 10+2 परीक्षा वृत्ति राकाय से उत्तीर्ण आयोदकों को विज्ञान राकाय अथवा वी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रतर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) वी.कॉम./वी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, वी.एस.सी. उत्तीर्ण आयोदकों को एम.एस.—री/एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की रिथति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अहंता ही वंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आयोदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :—
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आयोदकों को प्रवेश के लिए नियांसित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आयोदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.4 विधि राकाय नियमित प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को एल.एल.एग. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.वी. प्रथम सेमेरटर एवं एल.एल.एग. प्रथम सेमेरटर परीक्षा उत्तीर्ण आयोदकों को कमश: एल.एल.वी. द्वितीय सेमेरटर एवं एल.एल.एग. द्वितीय सेमेरटर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेरटर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) “विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%, अन्य विषेषज्ञ वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्वा में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओडी.री. हेतु 50%) प्राप्त आयोदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।”

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संयोग पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फ़ार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ व्यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समरत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (GNU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कॉम्प्रेस आयोगकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण रारथाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य-राज्य पर जारी फ़र्जी अथवा मान्यता प्रिधी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, वही जानकारी प्राप्तार्थी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आयोदकों को विश्वविद्यालय एवं गृहविद्यालय में रानाल लाए जा-

पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्वैतासकीय पत्र द्वारा नं 1-52/2013 (रीरी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिरूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समरल गहत्यापूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 रो 10 रत्तर तक के प्रमाण-पत्र लपलवा करता है जिनमें स्तर 5 रो स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर 1 रो रत्तर 4 तक के प्रमाण पत्र रक्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ रक्कूल छोड़ों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के रत्तर 4 के प्रमाणित स्तर राहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक राफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जाताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 रत्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिथ्ति में होंगे। अतः भेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअयसर गिल सकें।”

२) वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- २.१ स्नातक स्तर तक वी.ए./ वी.कॉम./ डी.एसा. री./ वी.एच.एसा.-री. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से उत्तीर्णद के किसी भी विश्वविद्यालय/ रवशारी महाविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमरा द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की प्राप्तता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ रवशारी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षाप्राप्त छात्रों के परिवार ही नियमित प्रवेश दिया जाते। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य दिया जाये।
- २.२ उत्तीर्णद के वाहर रिथ्त विश्वविद्यालय/ रवशारी महाविद्यालयों से स्नातक उत्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/ रवशारी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व वी परीक्षा

या प्रथम, द्वितीय, तृतीय रोमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों रो पात्रता प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा जिसमें भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रगाणीकरण संबंधित थोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थ द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर रोमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्री�ेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्थान निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अहंताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विस्तीर्ण संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षे में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्ण रात्रि में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया

हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल रथानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके पिलद्ध न्यायालय में वालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/भारपीट करने के गमीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की रांपति वो नष्ट करने वाले/रेंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉब करवायें एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

#### 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा रामी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले न्यायिक नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य रांकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

#### 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोव्वार कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार छोड़कर ग्राप्त कुल प्रतिशत औरों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावण हो तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमित ग्राप्त औरों के अनुसार होगी।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

### प्रदेश हेतु प्राथमिकता :-

- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताक के आधार पर प्रातीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतांगुर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व रात्र के नियमित/स्थायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एकीमेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के विवर्णीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य रक्तानों/सहस्रीलों/जिलों के निवासस्थान अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक रात्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक रांगड़ा में इरफा विरतार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत तीटे अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत तीटे अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चार्दह प्रतिशत तीटे अन्य पिछड़े चर्मों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुरूपित जनजातियों के साथ-साथ अनुसृतित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित तीटे पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अतिग्रन्थियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों ने से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगांधी परंपुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटे, अंतिम विधियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों द्वारा भरा जायेगा।

- 12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्याधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।
- (2) निःशक्ता व्यक्तियों, महिलाओं, गूतपूर्व कार्मिकों/गूतपूर्व सेनिक, रघुनंत्रता संग्राम रोनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में हीतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन व्यास्थास्थिति, उद्याधर आरक्षण के गीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम रोनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कार्मीठीशन में नियमानुसार मेरिट रूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें व्यावहर अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम रोनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।
- 12.5 आरक्षित रथान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित रथान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित रथान की संख्या दुष्ट होगी।
- 12.6 जमू-कर्णीर नियमानियों द्वारा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छह प्रदान की जायेगी।
- 12.7 समय-रामय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.8 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.9 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में यकरण क्रमांक उद्घृती(री) 400 / 2012 नेशनल लौगिल राईरोस अधीनियमी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in

"cases of admission in educational institutions and for public appointments," का अन्दार से पालन किया जाये।

**उल्लेख :-** अबर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्रा. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

### 13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुकूल निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रयोग आवेदन-पत्र के राथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् याद में लाये जाने/जगा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

#### 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोयर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" स्टॉफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" स्टॉफिकेट या द्वितीय रोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" स्टॉफिकेट या द्वितीय रोपान उत्तीर्ण रकाउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संवालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों वगे	04 प्रतिशत
(घ)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीरागढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉमिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(इ)	राज्यपाल रकाउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति रकाउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीरागढ़ का रावश्रेष्ठ एन.सी.सी. कंडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एंडिन्बर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कंडेट	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले केडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जन्मदूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2 आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उरी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3 खेलकूद/साहित्यक/सांस्कृतिक/विवज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-	
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा उत्तीर्णगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग रत्न अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय रथान अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य भंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य भंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय रथान अंतिम करने वाली टीम	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य गृथ अथवा राईन्स एवं कल्परल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

13	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदरय को	10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.5	जम्मू-कश्मीर के विरक्तियों तथा उनके आक्षितों को	01 प्रतिशत

### 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय रत्न के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी और इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रत्न पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बाहर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पावता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संवालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित रागतावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रक्कूल रत्न के पिछले बार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कागिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिगार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिगार हेतु मान्य होंगे।

### 14 संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के द्वीरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन तक अनुमति महाविद्यालय के पाचार्य द्वारा 30 रितवर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अतिग प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के संगक्षण या उरारो अधिक हो।

### १५ शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्राचोरिक कार्य आपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राप्तांगे इस समयावधि को अधिकारण ४ तर्फ कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जगा करने के बाद ही नियमित प्रवेश गान्धि किया जायेगा। शोध प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य प्राचार्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य रांपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेपित उपरिथित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति ने शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेजित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

### १६ विशेष :-

- १६.१ जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानयूझाकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रदेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निररत करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- १६.२ प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- १६.३ प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका ७.२ एवं ९.३ में निर्णीत अनुशासनीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निररत करने का अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- १६.४ प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संसदित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- १६.५ प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपर्युक्त या प्रवेश रोकी विली प्रकरण में गार्डर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से रूपाट टीप या अभिगत द्वारा हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीरागढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश रोकी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेपित न किया जाये।
- १६.६ इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समाय पर परिवर्तन/राशोधन/निररान/सलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीरागढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

### शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राप्तां इस सम्मानधि को अधिकाराम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवंदन पत्र में आवेदन करेग, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जगा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य मिला जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर लोइ शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपरिथित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदरथ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की रिति में शोध छात्र ऐसी संरथा में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

### विशेष :-

- 15.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलता जानकारी, जानवूशाकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की रिति गे विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं दिया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूपान्वयन सा प्रवेश संबंधी किरणी प्रकरण में गार्गदर्शन की आयश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण गे अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप त अभिमत देते हुए रूपान्वयन/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अप्रैषित लिखकर प्रैषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में रामय-रामय पर परिवर्तन/रांशोधन/निरस्त/संत्वन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(ए.आर.) खान)

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग